

दिनांक 29-10-21

आज पत्रावली पेश हुई। वकील ~~उपस्थित~~

पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारे हैं।

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01-12-21  
को पेश हो।


  
रिडर

दिनांक 01-12-2021

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को नोट प्रेस किया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
महवा (दौसा)

Note press  
by  
